निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 46/2022
दायरा दिनांकः–24.06.2022
निर्णय दिनांकः–23.12.24

उनवान

रामचन्द्र आयु 45 वर्ष आत्मज प्रेमनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम पीपल्याजागीर तहसील छबडा (राज0)

बनाम

1. दौलतराम आयु 48 वर्ष आत्मज रामनाथ निवासी ग्राम पीपल्या जागीर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 23.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह – प्रार्थी
2. श्री राजेश लोधा– अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम पीपल्याजागीर तहसील छबड़ा में भूमिया खसरा नम्बर 328 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, अवस्थित है जो प्राथी तथा अप्रार्थी कम सख्या 1 के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जनाबंदी में दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थी का हिसा 2/3 हिस्सा है एव अप्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार से ही ग्राम पीपल्या जागीर तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नम्बर 328/3 रकबा 3 बीधा 14 बिस्वा अवस्थित है जो प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम संख्या 1 के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबन्दी मे दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी कम संख्या 1 का भी हिस्सा 1/2 है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि का आपसी विभाजन अर्थात् प्रार्थी हिस्सा 2/3 तथा अप्रार्थी कम 1 हिस्सा 1/3 के अनुपात से इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि का आपसी विभाजन अर्थात् प्रार्थी हिस्सा 1/2 एंव अप्रार्थी कम संख्या 1 हिस्सा 1/2 के अनुपात से प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम संख्या 1 के मध्य अर्सा लगभग 20 वर्षो पूर्व से हो चुका है जबसे ही आपसी विभाजन के अनुसार ही प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम 1 अपने अपने हिस्सो मे प्राप्त भूमियो पर काबिज है और काश्त करते हुये चले आ रहे है। आपसी विभाजन के अनुसार ही प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम संख्या 1 को विभाजन में प्राप्त हुयी भूमियो के मध्य मेड़बन्धी भी हो रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी कम संख्या 1 से कई मर्तबा आपसी विभाजन के अनुसार भूमियो का विभाजन कर भूमियो को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

एक पृथक खातेदारी मे दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु वह टालम–टोल करता रहा अन्त में दिनांक 13/06/2022 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी कम संख्या 1 ने भूमियो का आपसी विभाजन के अनुसार विभाजन कर भूमियो को पृथक पृथक खातेदारी में दर्ज कराने से कतई इन्कार कर मन माने तरीके से प्रार्थी के हिस्से की भूमियो मे कायम शुदा मेडबन्धी को नष्ट कर प्रार्थी के हिस्से की भूमियो पर जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य करने का प्रयास किया और प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने को आमादा हो गया और निकट भविष्य में प्रार्थी के हिस्से की भूमियो पर जबरन ताकत के बल पर आधिपत्य करने की प्रार्थी को धमकी दी अतः यही दिनांक 13/06/2022 ही बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है। अप्रार्थीगण कम संख्या 1 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द नहीं किया गया तो वह प्रार्थी के हिस्से एंव कब्जे काश्त में चली आ रही भूमियो पर जबरन ताकत के बल पर अर्थात् प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि के हिस्सा 2/3 प्रार्थी एंव मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि हिस्सा 1/2 प्रार्थी पर आधिपत्य कर लेगे जिसके फलस्वरूप प्रार्थी को दीगर मुकदमे बाजीयो मे मशरूफ होकर जेरबार होना पड़ेगा और भंयकर रूप से आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना नितान्त असंभव हो जावेगा। अतः प्रार्थी अप्रार्थी कम संख्या 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला वाद जारी कराने का वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही होने पर अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्याजागीर सम्वत् 2076–79 खख्या 53 नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्याजागीर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 54 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पीपल्याजागीर तहसील छबडा में स्थित है खाता संख्या 53 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या 54 में हिस्सा 2/3 है। हिस्से अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के विभाजन अर्सा 20 वर्ष से पूर्व हो रहा है आपसी विभाजन के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 अपने–अपने हिस्सो में भूमि में मेड बन्धी हो रही है प्रार्थी मौके पर आपसी विभाजन के अनुसार पृथक–पृथक विभाजन कर अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहतें है। अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का जबरन कब्जा करना चाहता है अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्या जागीर सम्वत् 2076–79 खाता सख्या 53 में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम पीपल्या जागीर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 54 में प्रार्थी का हिस्सा 2/3 एवं अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कराकर अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहतें है परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी क्रम 1 उसके लिए सहमत नही है मूल वाद के निर्णय होने पर यह तय किया जायेगा कि प्रार्थी का एवं अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा किस तरफ का है तब तक विवादित आराजी की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखने हेतु उभयपक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम पीपल्या जागीर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 328/3 रकबा 3.14 बीघा खसरा नम्बर 328 रकबा 2.15 बीघा के मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

अर्थात राजस्व रिकार्ड म अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज चली आ रही है।उक्त वर्णित